

दिल्ली विधान सभा सचिवालय  
समाचार भाग-2  
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)  
वीरवार, 8 जून, 2006/ज्येष्ठ 18, 1928 (शक)

संख्या-175

**विषय:- सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई**

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, ए.सी.पी.पटेल नगर, नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों डॉ.जगदीश मुखी, डॉ.हर्षवर्द्धन, श्री सुरेन्द्र पाल रातावाल, श्री हरशरण सिंह बल्ली, श्री सुभाष सचदेवा, श्री पूरन चन्द योगी, श्री ओ.पी.बब्बर, श्री मोती लल सोढी, श्री ए.दशानन्द चन्दीला ए. को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा-65 के अंतर्गत दिनांक 7.6.2006 को मध्याह्न 12.00 बजे पुलिस स्टेशन, मोती नगर, नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी दिन, उसी स्थान से 1300 बजे रिहा कर दिया गया”।

सिद्धार्थ राव  
सचिव

**DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT  
BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative and other matters)  
Thursday, 8<sup>th</sup> June 2006/ 18 Jyaistha 1928 (Saka)

No. 175

**Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS**

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from ACP, Patel Nagar, New Delhi

"I have the honour to inform you that' S/Shri Dr Jagdish Mukhi, Dr. Harshvardhan, Surender Pal Ratawal, H.S. Balli, Subhash Sachdeva, Puran Chand Yogi, O.P. Babber, Moti Lal Sodhi, Daya Nand Chandila were detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 from P.S. Moti Nagar at 1200 Hrs. on 07.6.2006.

They were released at 1300 Hrs. from the same place on the same date."

Siddharath Rao  
Secretary